न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 31/2018/अपील/आर्म्स एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 5.10.2018
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

जगदीश सिंह जादोन आत्मज भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी रेल्वे स्टेशन के पास के0 पाटन थाना व तहसील के0 पाटन जिला बूंदी–राज0।

अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 8.7.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश क्रमांक 116 दिनांक 13.6.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1260/न्याय/18 एक 12 बोर डीबीबीएल गन 87283 को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बूंदी की नवीनीकरण के संबध मे रिपोर्ट क्रमांक 2619 दिनांक 31.3.2017 प्राप्त की गई। पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण सं0 33/77 धारा 147, 148, 323, 379 आईपीसी का दर्ज होकर चालान न्यायालय मे पेश किया गया अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध उक्त आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंषा नही की गई। पुलिस अधीक्षक बूंदी की उक्त रिपोर्ट के मध्यनजर लाईसेन्स का नवीनीकरण किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र जेरअपील आदेश दिनांक 116 दिनांक 13.6.2017 से तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा मे अपील इस आशय की पेश की गई कि जेरअपील आदेश आर्म्स एक्ट मे निहित प्रावधानों नियमो/उपनियमो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि उक्त प्रकरण 40 साल पुराना है जिसका निस्तारण भी हो चुका है उसके बाद अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी न्यायालय मे कोई प्रकरण विचाराधीन नही है अपीलांट को शस्त्र लाईसेन्स 2.6.98 को जारी हुआ है उक्त लाईसेन्स पूर्ण जांच करने के पश्चात जारी किया गया है तथा दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकरण किया जाता रहा है। पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंसा मे अपनी कोई राय/तथ्यात्मक टिप्पणी अंकित नही की है अतः पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट मनमानी है। शस्त्र अधिनियम के प्रावधानो एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबध मे जारी परिपत्रों के अनुसार विगत तीन वर्षो की अवधि मे कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही हुआ है ना ही कभी लोक परिशांति भंग करने के रूप मे अपीलांट को पाबंद किया गया है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिल निरस्तनीय है। अतः जेरअपील आदेश निरस्त किया जाकर शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1260 बहाल कर नवीनीकरण किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे दिनांक 20.5.2019 को बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट मनमानी है। जिस मुकदमे का उल्लेख किया गया है वह 40 वर्ष पुराना है अन्य कोई आपराधिक

संभागीय आयुक्त

प्रकरण अपीलांट के विरूद्ध दर्ज नही है ना ही अपीलांट आपराधिक गतिविधियों मे लिप्त है लाईसेन्स 31.12.2016 तक नवीनीकृत होता आ रहा है ऐसी स्थिति मे पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा नवीनीकरण की अनुशंसा नही कर प्रकरण मे मनमानी रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसको आधार बनाकर अधीनसथ न्यायालय ने जेरअपील आदेश पारित करने मे विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। बहस मे बताया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी ने प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर विवेचन व विशलेषण नही किया बल्कि सरसरी तौर पर अवलोकन निर्णय पारित कर दिया जिसे न्यायोचित नही कहा जा सकता। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश अपास्त किया जाकर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की आज्ञा प्रदान की जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा अपीलांट के विरूद्ध 2 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंसा नही की गई है। पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट के मध्यनजर लाईसेन्स का नवीनीकरण किया जाना उचित नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश से शस्त्र अनुज्ञापत्र को जेरअपील आदेश से निरस्त किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0पत्र व शपथ बावत डिले कन्डोन हेतु पेश किया गया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे अपीलांट द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया ना ही खण्डन मे कोई प्रत्युत्तर ही पेश किया गया है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है। पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट क्रमांक 2619 दिनांक 31.3.2017 अनुसार अपीलार्थी अपीलार्थी का चरित्र एवं चाल चल आपराधिक प्रवृति का होना उल्लेखित करते हुये अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक मुक0 सं0 33/77 धारा 147, 248, 323, 379 आईपीसी मे दर्ज होकर चालान न्यायालय मे पेश किया जाना अंकित कर उक्त आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने की वृताधिकारी वृत के0 पाटन की रिपोर्ट के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा अनुशंसा नही की गई। उक्त रिपोर्ट के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपीलांट द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र को जेरअपील आदेश क्रमांक 116 दिनांक 13.6.2017 से तत्काल प्रभाव से निरस्त किया है। पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट से अपीलांट का चरित्र एवं चाल–चल आपराधिक प्रवृति का होना इंगित करता है तथा आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति के पास शस्त्र का धारित रहना कतई उचित नही ठहराया जा सकता। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र को जेरअपील आदेश से निरस्त कर कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की जाना प्रकट नही होता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 8.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. आर्य)
सभागीय आयुक्त
कोटा

सभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा